बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

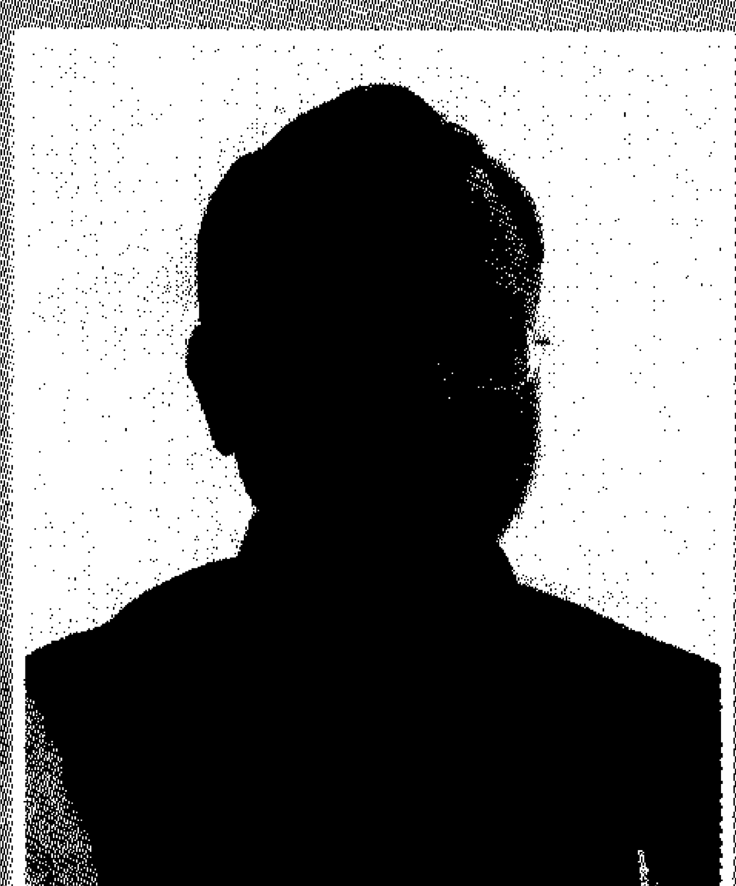

श्री सुशील कुमार मोदी
माननीय उप–मुख्यमंत्री,
बिहार

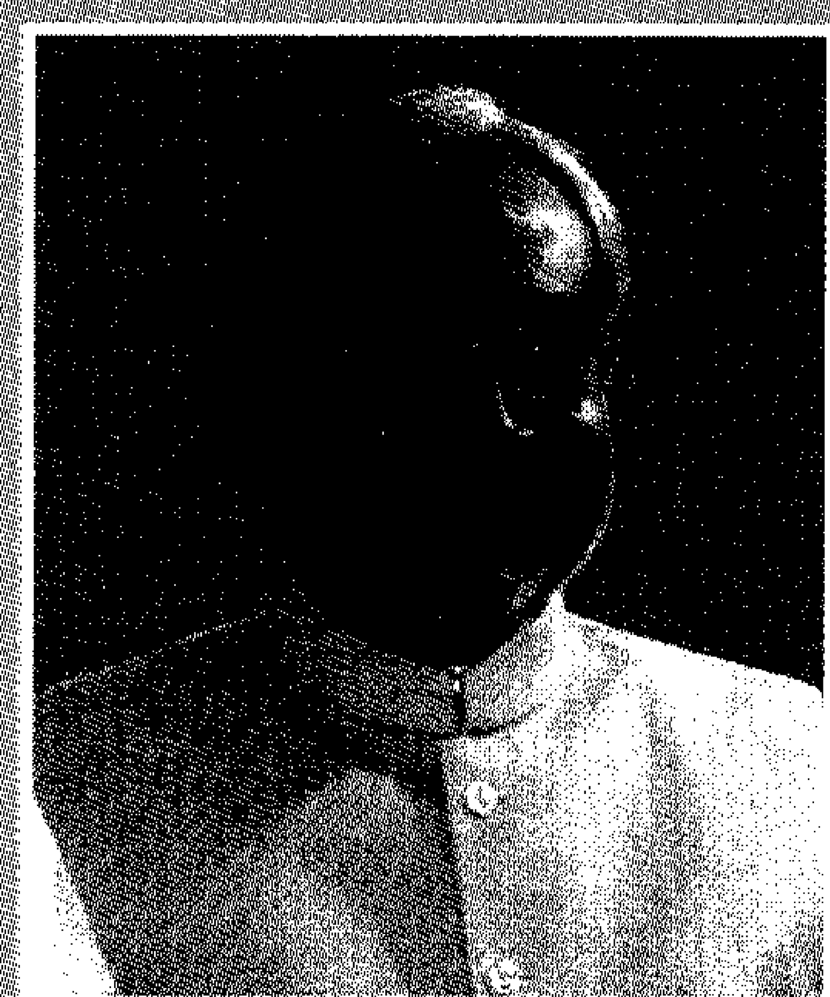

श्री नीतीश कुमार
माननीय मुख्यमंत्री,
बिहार

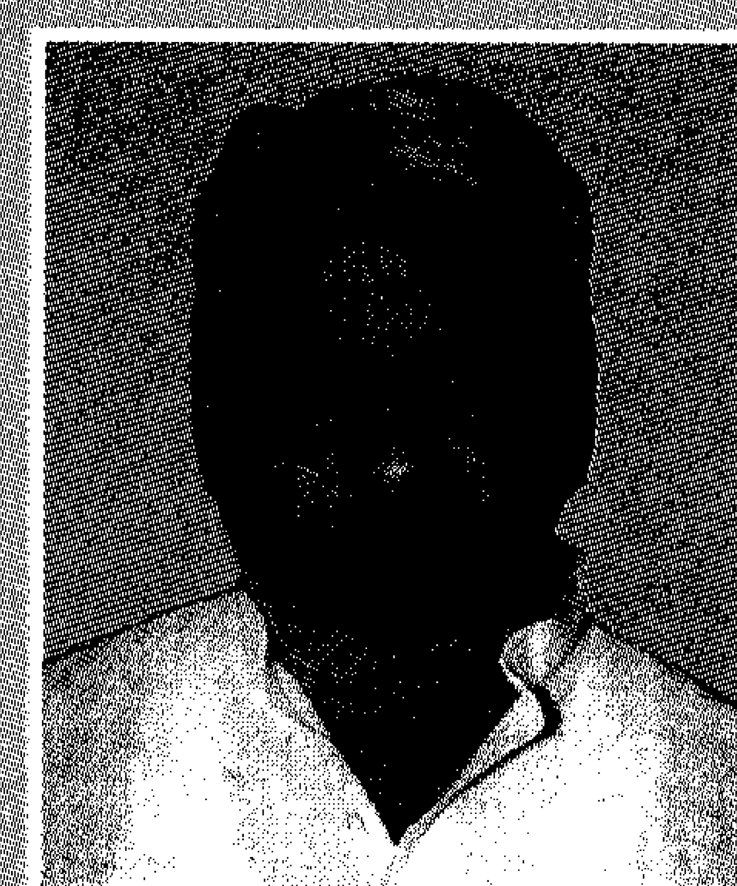

श्री गौतम सिंह
माननीय मंत्री,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार

वक्तव्य

2011-12

माँग संख्या - 43

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार

माँग संख्या – 43

कुल माँग– रुपये 1,06,28,60,000=00 मात्र

(एक अरब छः करोड़ अठाईस लाख साठ हजार रुपये मात्र)

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार

संक्षिप्त परिचय

आर्थिक विकास की प्रक्रिया में विज्ञान एवं प्रावैधिकी का योगदान एक महत्वपूर्ण घटक है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा लोगों के जीवन स्तर के सुधार में इसका योगदान निर्विवाद है। ग्रामीण निर्धन जन के कल्याण हेतु मात्र विज्ञान एवं प्रावैधिकी को पुष्ट निवेश प्रदान करने की वृहत् संभावना है। अतः उपयुक्त प्रबंधन तकनीकी से समन्वयित महत्वपूर्ण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण के संपोषण की दिशा में प्रयास अपेक्षित है। इसलिए आर्थिक गतिविधियों के समस्त क्षेत्रों में प्रवर्त्तनीय प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

राज्य के सामाजिक, आर्थिक एवं सर्वांगीण विकास में तकनीकी शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका स्वयंसिद्ध है। क्षमताओं एवं नवप्रवर्त्तकों की अभिवृद्धि हेतु तकनीकी शिक्षा प्रणाली को विकसित किए जाने की अवश्यकता है। केवल इसी के द्वारा ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था की ओर प्रगति सम्भव है और त्वरित होती वैश्विक स्पर्द्धा में समृद्धि बनी रह सकती है।

इस बात की तात्कालिक आवश्यकता है कि एक ओर कृषि, वन, जल–जीवन, दुग्धशाला और पशुपालन, लोक–स्वास्थ्य और उद्योगों की तकनीकी जरूरतों को पूरा किया जाए तथा गरीबी उन्मूलन अभियान को प्रश्रय दिया जाए एवं नारी तथा स्थानीय आबादी के सशक्तीकरण के साथ साथ राज्य के युवाओं के लिए स्व–रोजगार एवं ग्रामीण रोजगार के अवसर सृजित किए जायें। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभाग द्वारा एक महती एवं गतिशील तकनीकी शिक्षा नीति एवं जैव–प्रौद्योगिकी नीति विकसित की जा रही है।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत दो प्रक्षेत्र– यथा तकनीकी शिक्षा एवं वैज्ञानिक शोध एवं सेवाएं है।

I. तकनीकी शिक्षा प्रक्षेत्र :–

पूर्व में भी बिहार में तकनीकी शिक्षण संस्थानों की संख्या देश में अन्य राज्यों की अपेक्षा कम थी। राज्य के पुर्नगठन के उपरान्त बिहार में तकनीकी संस्थानों की संख्या में और भी कमी आयी एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता भी कम हो गया जिसके परिणामस्वरूप राज्य में तकनीकी शिक्षा के अवसरों में कमी हुआ।

बिहार में तकनीकी शिक्षा को सुदृढ़ किया जा रहा है तथा इस हेतु राज्य में सरकारी

तथा निजी क्षेत्र में नये–नये अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं पोलिटेकनिक संस्थानों को स्थापित कर उसमें सत्रारंभ किया जा रहा है।

II. वैज्ञानिक शोध एवं सेवाएं प्रक्षेत्र :–

विभाग द्वारा स्थापित बिहार काउंसिल ऑन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी (BCST) विभिन्न संगठनों की सहायता से जनसाधारण को वैज्ञानिक सेवायें प्रदान करता है, वैज्ञानिक मनोदशा/रूझान उत्पन्न करता है तथा जीवन स्तर की गुणवत्ता के सुधार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका के संबंध में जागरूकता लाता है।

यह बहुआयामी गतिविधियों एवं प्रदर्शनियों के माध्यम से जनजीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पुरातन, रूढ़िवादी एवं मिथ्या धारणाओं को मिटाता है। जिला विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से काउंसिल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित लोक उपयोगी गतिविधियों को तथा NGOs की सहायता से प्रौद्योगिकी स्थान्तरण को प्रोत्साहित करता है। चिल्ड्रेन साइंस कांग्रेस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रचार एवं प्रसार करता है। नेशनल काउंसिल ऑन साईंस एण्ड टेकनोलॉजी (NCST) बिहार काउंसिल ऑन साइंस टेकनोलॉजी की सहायता से अल्पावधि जागरूकता कार्यक्रम, सिम्पोजिया, कॉन्फरेन्स आदि का आयोजन करता है।

इंदिरा गांधी साइंस कॉमप्लेक्स परसिर में अवस्थित तारामंडल सौर मंडल, कॉसमॉस, स्पेस एवं गैलेक्सी तथा समुद्र के नीचे के एक्वेटिक लाइफ आदि से संबंधित शो का प्रदर्शन नियमित रूप से करता है।

बिहार रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, पटना, बिहार एवं सीमावर्त्ती राज्यों के भूतल का मानचित्रण IRS-ID के माध्यम से करता है। फसल योजना, भूमि उपयोग, बाढ़ नियंत्रण, भौगोलिक सूचना प्रबंधन तंत्र के विकास में तथा आपदा प्रबंधन हेतु डाटाबेस के निर्माण में ये मानचित्र काफी उपयोगी हैं।

बिहार काउंसिल ऑन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी/बिहार स्टेट रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर तथा इंदिरा गांधी साइंस कॉमप्लेक्स–तारामंडल, पटना के वैज्ञानिक सेवाओं के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है।

2. वर्ष 2010–11 का प्रगति प्रतिवेदन–

- राजकीय पोलिटेकनिक, बरौनी के परिसर में उपलब्ध एवं रिक्त भूमि पर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय, बेगूसराय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- सीतामढ़ी में स्वीकृत सीतामढ़ी इंस्टीच्यूट ऑफ टेकनोलॉजी के भवनादि के निर्माण हेतु 21.01 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है। भूमि अधिग्रहण हेतु स्वीकृत राशि समाहर्त्ता, सीतामढ़ी को उपलब्ध करा दी गई है।

- गया, दरभंगा एवं मोतिहारी में नवस्थापित नये अभियंत्रण महाविद्यालयों में रु० 3306.51 लाख मात्र के अनुमानित व्यय पर छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रावास के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त निर्माण कार्यों उक्त छात्रावासों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में रु० 805.00 लाख मात्र की राशि भवन निर्माण विभाग को विमुक्त की गई है।

- गया, दरभंगा, मोतिहारी एवं चण्डी में नवस्थापित नये अभियंत्रण महाविद्यालयों के कर्मशाला एवं प्रयोगशाला में मशीन एवं उपकरणों की अधिष्ठापन तथा पुस्तकों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में आवश्यक राशि संबंधित संस्थानों को उपलब्ध करायी गई है।

- वित्तीय वर्ष 2002–03 में स्वीकृत लोकनायक जयप्रकाश प्रौद्योगिकी संस्थान, छपरा के प्रथम चरण में स्वीकृत भवनों में से अतिमहत्त्वपूर्ण भवनों यथा संस्थान भवन (G+3), प्रयोगशाला भवन (G+1), कर्मशाला भवन, बालिका छात्रावास (G), बालक छात्रावास (G+1) तथा प्राचार्य आवास का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है फिनिसिंग का कार्य किया जा रहा है। शेष भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उक्त संस्थान में वर्ष 2011–12 से सत्रारंभ प्रारंभ करने का प्रस्ताव है।

- वित्तीय वर्ष 2008–09 में स्वीकृत नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चण्डी, की स्थापना हेतु 51 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है तथा संस्थान के भवनादि के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में रु० 1000.00 लाख मात्र आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार को उपलब्ध करायी गई है।

- बी॰ आई॰ टी॰ मेसरा विस्तार केन्द्र, पटना में दो अतिरिक्त अभियंत्रण पाठ्यक्रमों को प्रारंभ किये जाने के फलस्वरूप आवश्यक संसाधनों को विकसित करने तथा अतिरिक्त छात्रावास के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में रु० 815.90 लाख मात्र की राशि बी॰ आई॰ टी॰ मेसरा प्रबंधन को उपलब्ध करायी गई है।

- केन्द्रीय योजनान्तर्गत (Sub-Mission on Polytechnics under Coordinated Action Plan for Skill Development) राज्य के शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, मधेपूरा एवं मातिहारी जिला में नया पोलिटेकनिक संस्थान की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा

संस्थानों के भवनादि के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में राशि भवन निर्माण विभाग को उपलब्ध करायी गई है।

- पूर्व स्थापित 12 पोलिटेकनिक संस्थानों में कुल 18.84 करोड़ मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रति संस्थान एक 50 शय्या का महिला छात्रावास के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- पूर्व से संचालित राजकीय महिला पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर के लिए भवनादि के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में रु० 860.00 लाख मात्र भवन निर्माण विभाग को उपलब्ध करायी गई है।
- केन्द्रीय योजनान्तर्गत (Sub-Mission on Polytechnics under Coordinated Action Plan for Skill Development) कटिहार, लखीसराय एवं रोहतास जिला में नवस्वीकृत पोलिटेकनिक संस्थानों के भवनादि के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2010–11 में क्रमशः रु० 1000.00 लाख मात्र, रु० 450.00 लाख मात्र एवं रु० 200.00 लाख मात्र भवन निर्माण विभाग को उपलब्ध करायी गई है।
- बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर, बिहार के सुदृढ़ीकरण हेतु स्वीकृत राशि रु० 1624.00 लाख मात्र के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2010–11 में रु० 650 लाख मात्र की राशि बिहार काउन्सिल ऑन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना को विमुक्त की गई है।
- तकनीकी शिक्षा के उन्नयनार्थ 12वें वित्त आयोग द्वारा अनुदानित से पूर्व स्वीकृत योजनान्तर्गत मुजफ्फरपुर इंस्टीच्यूट ऑफ टेकनोलॉजी, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, भागलपुर को मशीनें, उपकरण एवं पुस्तकादि के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में रु० 117.40 लाख मात्र की राशि संस्थानों को उपलब्ध करायी गई है।
- आई॰आई॰टी॰ पटना के लिए नवीन राजकीय पोलिटेकनिक, पाटलीपुत्र के परिसर में रु० 450.00 लाख मात्र की लागत से एक नया अतिरिक्त छात्रावास के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा उक्त निर्माण कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2010–11 में रु० 200 लाख मात्र भवन निर्माण विभाग को उपलब्ध करा दी गई है।
- आई॰आई॰टी॰ पटना के लिए नवीन राजकीय पोलिटेकनिक, पाटलीपुत्र के परिसर में वित्तीय वर्ष 2007–08 में रु० 597.31 लाख मात्र की लागत से स्वीकृत 150 बेड के निर्माणाधीन छात्रावास का निर्माण को पूर्ण करने हेतु

वित्तीय वर्ष 2010–11 में शेष राशि रु० 97.31 लाख मात्र भवन निर्माण विभाग को उपलब्ध करायी गई है।

- पोलिटेकनिक संस्थानों यथा राजकीय पोलिटेकनिक, बरौनी, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, गुलजारबाग (पटना–7) तथा राजकीय महिला पोलिटेकनिक, पटना में स्वीकृत नये पाठ्यक्रमों के संचालन तथा इस हेतु योजना मद के अधीन सृजित पदों पर कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मियों के वेतनादि तथा रिक्त पदों के विरूद्ध संविदा के आधार पर नियोजित शिक्षकों एवं कर्मियों के मानदेय के भुगतानार्थ वित्तीय वर्ष 2010–11 में 25.60 लाख मात्र की राशि संबंधित संस्थानों को विमुक्त की गई है।
- नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चण्डी के संचालन तथा इस हेतु योजना मद के अधीन सृजित पदों पर कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मियों के वेतनादि तथा रिक्त पदों के विरूद्ध संविदा के आधार पर नियोजित शिक्षकों एवं कर्मियों के मानदेय के भुगतानार्थ वित्तीय वर्ष 2010–11 में रु० 61.25 लाख मात्र की राशि संबंधित संस्थान को विमुक्त की गई है।
- उक्त कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में योजना बजट से कुल रु० 110.5188 करोड़ मात्र का व्यय अनुमानित है।

3. वर्ष 2011–12 में प्रस्तावित योजना

- पोलिटेकनिक संस्थानों में स्वीकृत नये पाठ्यक्रमों के संचालन तथा इस हेतु योजना मद के अधीन सृजित पदों पर कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मियों के वेतनादि तथा रिक्त पदो के विरूद्ध संविदा के आधार पर नियोजित शिक्षकों एवं कर्मियों के मानदेय के भुगतानार्थ वित्तीय वर्ष 2011–12 अन्तर्गत रु० 86.31 लाख मात्र का प्रावधान किया गया है।
- पूर्व से स्थापित पोलिटेकनिकों के कर्मशाला/प्रयोगशाला/वर्गकक्ष/पुस्तकालय के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 अन्तर्गत रु० 355 लाख मात्र का प्रावधान किया गया है।
- केन्द्रीय योजनान्तर्गत (Sub-Mission on Polytechnics under Coordinated Action Plan for Skill Development) राज्य के 28 जिलों में से अब शेष 18 जिलों जहाँ पोलिटेकनिक संस्थान नहीं है, पोलिटेकनिक संस्थान की स्थापना की जानी है वशर्त्ते इस हेतु AICTE के मापदण्ड के अनुसार राज्य सरकार निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये। इस हेतु आवश्यकतानुसार भूमि के अधिग्रहण के लिए वित्तीय वर्ष 2011–12

अन्तर्गत रु० 100.00 लाख मात्र का प्रावधान किया गया है।

- नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चण्डी के संचालन तथा इस हेतु योजना मद के अधीन सृजित पदों पर कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मियों के वेतनादि तथा रिक्त पदों के विरूद्ध संविदा के आधार पर नियोजित शिक्षकों एवं कर्मियों के मानदेय के भुगतानार्थ वित्तीय वर्ष 2011–12 अन्तर्गत रु० 193.11 लाख मात्र का प्रावधान किया गया है।
- वर्ष 2008–09 में स्वीकृत नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चण्डी, बी॰ पी॰ मण्डल अभियंत्रण महाविद्यालय, मधेपुरा तथा सीतामढ़ी इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सीतामढ़ी के भवनादि का निर्माण आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार से कराये जाने का निर्णय है। उक्त संस्थानों के भवनादि के निर्माण, पूर्व से संचालित अभियंत्रण महाविद्यालयों यथा एम॰आई॰टी॰ मुजफ्फरपुर एवं बी॰सी॰ई॰ भागलपुर के कर्मशाला/प्रयोगशाला/वर्गकक्ष/पुस्तकालय के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा वर्ष 2008–09 से संचालित गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया/मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय, मोतिहारी/दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय, दरभंगा एवं नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चण्डी में कर्मशाला/प्रयोगशाला/वर्गकक्ष/पुस्तकालय में आवश्यकता आधारित मशीनें एवं उपकरणों के अधिष्ठापन, उपस्कर एवं पुस्तकादि के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 अन्तर्गत रु० 2133.69 लाख मात्र का प्रावधान किया गया है।
- राज्य में प्रस्तावित IIIT (इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी) की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए वित्तीय वर्ष 2011–12 अन्तर्गत रु० 100.00 लाख मात्र का प्रावधान किया गया है।
- विभागान्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं पोलिटेकनिक संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के लिए आधारभूत संरचना के सृजन हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 अन्तर्गत रु० 3150.53 लाख मात्र का प्रावधान किया गया है।
- वर्ष 2009–10 में रु० 1624.00 लाख मात्र की लागत से स्वीकृत बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लिकेशन सेन्टर के सुदृढ़ीकरण के लिए रु० 369.00 लाख, इंदिरा गांधी विज्ञान परिसर–तारामंडल के विद्युत व्यय हेतु 37 लाख तथा एडुसेट के माध्यम से अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं पोलिटेकनिक संस्थानों के छात्र/छात्राओं के लिए शिक्षण–प्रशिक्षण एवं पठन पाठन हेतु स्वीकृत योजनान्तर्गत रु० 94 लाख मात्र का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2011–12 अन्तर्गत किया गया है।
- विभागाधीनस्थ निर्माणाधीन/ नवस्थापित एवं पूर्व से स्थापित अभियंत्रण महाविद्यालयों/पोलिटेकनिक संस्थानों तथा केन्द्रीय योजनान्तर्गत पूर्व

स्थापित पोलिटेकनिक संस्थानों में 50 बेड का महिला छात्रावास का निर्माण एवं राज्य के 10 जिलों (नालन्दा, लखीसराय, कटिहार, रोहतास, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, पूर्वी चम्पारण एवं मधेपुरा) में अबतक स्वीकृत पोलिटेकनिक संस्थान की स्थापना की योजनान्तर्गत भवनादि के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 भवन निर्माण विभाग के मांग संख्या–03 अन्तर्गत रु० 5433.18 लाख मात्र का प्रावधान किया गया है। उक्त प्रावधानित राशि से आई॰आई॰टी॰ पटना के लिए विभागान्तर्गत नवीन राजकीय पोलिटेकनिक, पाटलीपुत्र के परिसर में आवश्यकतानुसार संरचना का विकास किया जायेगा।

- राज्य के अभियंत्रण महाविद्यालयों में केन्द्र प्रायोजित योजना (केन्द्रांश : राज्यांश = 75 : 25) "तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम (TEQIP PHASE-II) के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 राज्यांश के रूप में रु० 100 लाख मात्र तथा केन्द्रांश के रूप में रु० 300 लाख मात्र का प्रावधान किया गया है।

4. वित्तीय वर्ष 2011–12 में बजट उपबंध

(क) आयोजना (योजना) :

वित्तीय वर्ष 2011–12 में विभाग के लिए योजना उद्व्यय रु० 1,20,51,88,000=00 (एक अरब बीस करोड़ एकावन लाख अठासी हजार रुपये) मात्र निर्धारित है। इसके अतिरिक्त केन्द्र प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रांश के रूप में रु० 3,00,00,000=00 (तीन करोड़ रूपये) मात्र निर्धारित की गई है। इस प्रकार विभागीय योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में योजना मद के अधीन कुल रु० 1,23,51,88,000=00 (एक अरब तेईस करोड़ एकावन लाख अठासी हजार रुपये) मात्र का उपबंध है जिसमें माँग संख्या–43 अन्तर्गत रु० 69,18,70,000=00 (उनहतर करोड़ अठारह लाख सत्तर हजार रुपये) मात्र का उपबंध है तथा रु० 54,33,18,000=00 (चौवन करोड़ तैंतीस लाख अठारह हजार रुपये) मात्र का उपबंध माँग संख्या–03 (भवन निर्माण विभाग) किया गया है। माँग संख्या–43 अन्तर्गत उपबंधित उक्त राशि रु० 69,18,70,000=00 (उनहत्तर करोड़ अठारह लाख सत्तर हजार रुपये) मात्र में से राजस्व व्यय हेतु रु० 11,79,48,000=00 (ग्यारह करोड़ उनासी लाख अड़तालीय हजार रुपये) मात्र तथा पूँजीगत व्यय हेतु रु० 57,39,22,000=00 (संतावन करोड़ उनचालीस लाख बाईस हजार रुपये) मात्र का प्रावधान किया गया है।

उक्त उपबंधित राशि से राज्य में तकनीकी शिक्षा के विकास, विभागान्तर्गत संस्थानों में संचालित नया डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का पोषण, स्वीकृत अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं पोलिटेकनिक संस्थानों में भवनादि के प्रस्तावित निर्माण कार्यों का क्रियान्वयन, चार नये

स्थापित अभियंत्रण महाविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण एवं उनमें भवनादि निर्माण की योजना, विभागान्तर्गत स्थापित होने वाले नये पोलिटेकनिक संस्थानों में भवनादि निर्माण की योजना तथा राज्य में प्रस्तावित IIIT (इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी) की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण की योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

(ख) आयोजना भिन्न (गैर योजना) :

वित्तीय वर्ष 2011–12 में आयोजना भिन्न (गैर योजना) के मांग संख्या–43 अन्तर्गत राजस्व व्यय हेतु कुल रु॰ 37,09,90,000=00 (सैंतीस करोड़ नौ लाख नब्बे हजार रुपये) मात्र उपबंध किया गया है।

उक्त उपबंधित राशि में मुख्य बजटशीर्ष –''2203–तकनीकी शिक्षा'' एवं ''3451–आर्थिक सेवाएं'' के अधीन क्रमशः रु० 36,24,75,000=00 मात्र एवं रु० 85,15,000=00 मात्र का प्रावधान किया गया है। मुख्य बजटशीर्ष–''2203–तकनीकी शिक्षा'' के अधीन उपबंधित राशि से विभागान्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों, राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों एवं राजकीय महिला औद्योगिक विद्यालयों/ राजकीय मुद्रण प्रौद्योगिकी विद्यालय के संचालन में व्यय किया जायेगा। साथ ही तत्कालीन बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पटना (सम्प्रति नेशनल इंस्टीच्युट ऑफ टेक्नोलॉजी, पटना) से सेवानिवृत शिक्षको एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पेंशनादि का भुगतान किया जायेगा।

इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2011–12 में विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के लिए माँग संख्या – 43 के अधीन आयोजना भिन्न (गैर योजना) में रु० 37,09,90,000=00 (सैंतीस करोड़ नौ लाख नब्बे हजार रुपये) मात्र तथा योजना मद में रु० 69,18,70,000=00 (उनहत्तर करोड़ अठारह लाख सत्तर हजार रुपये) मात्र अर्थात् समेकित रुप से कुल रु० 1,06,28,60,000=00 (एक अरब छः करोड़ अठाईस लाख साठ हजार रुपये) मात्र का उपबंध है।

विभागान्तर्गत कार्यरत तकनीकी संस्थान :—

अभियंत्रण महाविद्यालय

एम.आई.टी., मुजफ्फरपुर
बी.सी.ई., भागलपुर
गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया
दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय, दरभंगा
मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय, मोतिहारी
नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चण्डी

राजकीय पोलिटेकनिक / राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान :—

नवीन राजकीय पोलिटेकनिक, पटना – 13
राजकीय पोलिटेकनिक, पटना – 7
राजकीय पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर
राजकीय पोलिटेकनिक, छपरा
राजकीय पोलिटेकनिक, गोपालगंज
राजकीय पोलिटेकनिक, गया
राजकीय पोलिटेकनिक, सहरसा
राजकीय पोलिटेकनिक, बेगुसराय (बरौनी)
राजकीय पोलिटेकनिक, दरभंगा
राजकीय पोलिटेकनिक, पूर्णियाँ
राजकीय पोलिटेकनिक, भागलपुर
राजकीय महिला पोलिटेकनिक, फुलवारीशरीफ,
राजकीय महिला पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर

राजकीय महिला औद्योगिक विद्यालय / राजकीय मुद्रण प्रौद्योगिकी विद्यालय :—

राजकीय महिला औद्योगिक विद्यालय, गया
राजकीय महिला औद्योगिक विद्यालय, आरा
राजकीय महिला औद्योगिक विद्यालय, मोतिहारी
राजकीय महिला औद्योगिक विद्यालय, पहाड़पुर (गया)

राजकीय महिला औद्योगिक विद्यालय, मुजफ्फरपुर
राजकीय महिला औद्योगिक विद्यालय, दरभंगा
राजकीय महिला औद्योगिक विद्यालय, सहरसा
राजकीय महिला औद्योगिक विद्यालय, पूर्णियाँ
राजकीय महिला औद्योगिक विद्यालय, छपरा
राजकीय महिला औद्योगिक विद्यालय, भागलपुर
राजकीय महिला औद्योगिक विद्यालय, मुंगेर
राजकीय मुद्रण प्रौद्योगिकी विद्यालय, गुलजारबाग, पटना – 7

<u>**परिशिष्ट–ख**</u>

नये स्वीकृत संस्थान–

अभियंत्रण महाविद्यालय

जयप्रकाश प्रौद्योगिकी संस्थान, छपरा
वी॰ पी॰ मंडल अभियंत्रण महाविद्यालय, मधेपुरा
सीतामढ़ी इंस्टीच्यूट ऑफ टेकनोलॉजी, सीतामढ़ी
राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय, बेगुसराय

राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान :–

नवीन राजकीय पोलिटेकनिक, अस्थावां
राजकीय पोलिटेकनिक, लखीसराय
राजकीय पोलिटेकनिक, डिहरी ऑन सोन
राजकीय पोलिटेकनिक, कटिहार
राजकीय पोलिटेकनिक, वैशाली
राजकीय पोलिटेकनिक, शिवहर
राजकीय पोलिटेकनिक, मधुबनी
राजकीय पोलिटेकनिक, सीतामढ़ी
राजकीय पोलिटेकनिक, मधेपुरा
राजकीय पोलिटेकनिक, मोतिहारी